क्रम सं०–82

रजिस्ट्रेशन नम्बर एस०एस०पी० / एल०

डब्लू० / एन०पी० 91 / 2014 16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 13 मार्च, 2015

फाल्गुन 22, 1936 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 306/79–वि-1–15–1(क)4-2015

लखनऊ, 13 मार्च, 2015

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2015 पर दिनांक 12 मार्च, 2015 को अनुमति प्रदान की और वह (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2015) के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2015

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2015)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1976 की धारा 3 का संशोधन।

2—उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 3 में उपधारा (4-क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:

"(4-क) कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष (प्रशासकीय) के रूप में नियुक्ति के लिये अर्ह नहीं होगा जब तक कि,

(क) उसने प्रशासकीय सदस्य का पद धारण न किया हो, या

(ख) उसने राज्य सरकार के अधीन सचिव का पद या भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद के समकक्ष पद धारण न किया हो और उसे राज्य सरकार की राय में न्याय करने का पर्याप्त अनुभव न हो।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1976) का अधिनियमन उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त लोक सेवकों के सेवायोजन से सम्बद्ध विषयों के सम्बन्ध में विवादों के न्याय-निर्णयन के निमित्त अधिकरण के गठन हेतु व्यवस्था करने के लिये किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4-क) में प्राविधान है कि कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष (प्रशासकीय) के रूप में नियुक्ति के लिये अर्ह नहीं होगा जब तक कि उसने कम से कम दो वर्ष तक प्रशासकीय सदस्य का पद धारण न किया हो या उसने कम से कम दो वर्ष तक भारत सरकार के अपर सचिव का पद या केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई पद धारण न किया हो जिसका वेतनमान भारत सरकार के अपर सचिव के वेतनमान से कम न हो और राज्य सरकार की राय में न्याय व्यवस्था का पर्याप्त अनुभव न हो। उपाध्यक्ष (प्रशासकीय) के पद पर नियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में प्रतिभावान और अधिक अनुभवी, कुशल और पात्र अधिकारियों के यथोचित पूल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन किये जाने का विनिश्चय किया गया है,

(क) उक्त उपधारा में शब्द "कम से कम दो वर्ष तक" जहां कहीं भी आये हों, निकाल दिया जाए।

(ख) उपाध्यक्ष (प्रशासकीय) के पद पर नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति जिसने भारत सरकार के अपर सचिव का पद या केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद धारण किया हो, जिसका वेतनमान भारत सरकार के अपर सचिव के वेतनमान से कम न हो, अर्ह होगा, के स्थान पर कोई व्यक्ति जिसने राज्य सरकार में सचिव का पद या भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समकक्ष पद धारण किया हो, की व्यवस्था की जाए।

तदनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2015 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अनिरुद्ध सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 306(2)/LXXIX-V-1-15-1(Ka)-4-2015

Dated Lucknow, March 13, 2015

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Seva (Adhikaran) (Sansodhan) Adhiniyam, 2015 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 2015) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 12, 2015—

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (TRIBUNAL) (AMENDMENT) ACT, 2015

(U.P. Act no. 1 of 2015)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) Act, 1976

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) (Amendment) Act, 2015.

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) Act, 1976, *for* sub-section (4-A) the following sub section shall be *substituted*, namely :- Amendment of section 3 of U.P. Act no. 17 of 1976

"(4-A) A person shall not be qualified for appointment as Vice-Chairman (Administrative) unless he,

(a) has held the post of an Administrative Member, or

(b) has held the post of Secretary in the State Government or a post equivalent to the post of Joint Secretary to the Government of India and has, in the opinion of the State Government adequate experience in dispensation of justice."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) Act, 1976 (U.P. Act no. 17 of 1976) has been enacted to provide for the constitution of tribunal to adjudicate disputes in respect of matters relating to employment of all public servants of the State of Uttar Pradesh. Sub-section (4-A) of section 3 of the said Act provides that a person shall not be qualified for appointment as Vice-Chairman (Administrative) unless he has for at least two years held the post of an Administrative member or has for at least two years held the post of Additional Secretary to the Government of India or any other post under the Central or a State Government carrying a scale of pay which is not less than that of an Additional Secretary to the Government of India and has in the opinion of the State Government adequate experience in dispensation of Justice. With a view to ensuring availability of adequate pool of talented and more experienced, skilled and sufficient number of eligible officers for appointment to the post of Vice-Chairman (Administrative) it has been decided to amend the said Act,-

(a) to *omit* the words "for at least two years" wherever occurring in the said sub-section;

(b) to provide that a person who has held the post of secretary in the State Government or a post equivalent to the post of the Joint Secretary to the Government of India shall be eligible for appointment to the post of Vice-Chairman (Administrative) instead of a person who has held the post of Additional Secretary to the Government of India or any other post under the Central or a State Government carrying a scale of pay which is not less than that of an Additional Secretary to the Government of India.

The Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) (Amendment) Bill, 2015 is introduced accordingly.

By order,
ANIRUDDHA SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1074 राजपत्र (हि०)-2015-(2495)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 122 सा०विधायी-2015-(2496)-400 प्रतियां-(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।

data 2 1074 RPH